प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
अवमानना याचिका (सिविल) नं0 359/2019

अनिता रेनू कुजूर आ० स्वर्गीय कुँवर कुजूर,

उम्र लगभग 36 वर्ष,व्यवसाय - सेवा,

निवास- इंद्रानगर, नवापारा, अंबिकापुर, जिला

सरगुजा छत्तीसगढ़.

----------याचिकाकर्ता

बनाम

श्री बी.पी. वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

सरगुजा, अम्बिकापुर छत्तीसगढ़.

------------उत्तरवादी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्ता के लिए: श्री सी.जे.के. राव, अधिवक्ता
प्रतिवादी के लिए: श्री मनोज परांजपे, अधिवक्ता
श्री वैभव ए. गोवर्धन, अधिवक्ता

माननीय श्री न्यायमूर्ति राजेंद्र चंद्र सिंह सामंत

बोर्ड पर निर्णय

1. सुना गया ।

2. याचिकाकर्ता के वकील द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता जिला और सत्र न्यायाधीश, सरगुजा के न्यायालय में सहायक ग्रेड–III के रूप में काम कर रही थी, इससे पहले उस पर सत्र मामले No.R–

98/14 में मुकदमा चलाया गया था। याचिकाकर्ता को उस मामले में दोषी ठहराया गया और सजा सुनाई गई, जिसके विरुद्ध उसने एक आपराधिक अपील दायर की, जिसका नंबर Cr.A.No.1708/2018 है । इस न्यायालय ने 20.03.2019 को याचिकाकर्ता के खिलाफ मामले में उसकी दोषसिद्धि पर स्थगन आदेश पारित किया है, इसलिए दोषसिद्धि के स्थगन के बाद.याचिकाकर्ता की दोषसिद्धि से पहले की शर्तों को बहाल कर दिया गया था, जिसके आधार पर, याचिकाकर्ता ने प्रत्यर्थी से संपर्क किया और अनुलग्नक सी–2 के माध्यम से अभ्यावेदन करके प्रतिष्ठान के कर्मचारी के रूप में बहाली के लिए प्रार्थना की। यह प्रस्तुत किया गया है कि ने संलग्नक C–3 के माध्यम से याचिकाकर्ता को सूचित किया है कि उसका प्रतिनिधित्व C.G. सिविल सर्विसेज (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम 1966 के नियम 19 के तहत दायर किया गया है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. यह वाक्य यह व्यक्त करता है कि उत्तरदाता द्वारा याचिकाकर्ता के पक्ष में न होने वाला निर्णय, जो कि 20 मार्च 2019 को Cr.A. No.1708/2018 में पारित आदेश के खिलाफ लिया गया है, उस आदेश का उल्लंघन (अवमानना) है। इसलिए, याचिकाकर्ता ने यह निवेदन किया है कि उत्तरदाता के खिलाफ अवमानना कार्यवाही की जाए।

इससे यह भी स्पष्ट होता है कि याचिकाकर्ता यह चाहते हैं कि न्यायालय उत्तरदाता को आदेश की अवमानना करने के लिए जिम्मेदार ठहराए और उचित कार्यवाही करे।

4. विपक्षी पक्ष की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने उपस्थित होकर यह प्रस्तुत किया कि अभियोजन की प्रक्रिया शुरू होने के बाद, याचिकाकर्ता को दिनांक 08.07.2014 के आदेश द्वारा निलंबित किया गया था, जो कि परिशिष्ट R–1 के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसके बाद, याचिकाकर्ता को विचारण न्यायालय के द्वारा दिनांक 26.10.2018 को दोषसिद्ध घोषित किये

जाने के बाद, उसकी सेवाओं को एम.पी./सी.जी. सिविल सर्विसेज़ (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम 1966 के नियम 10 के प्रावधानो के तहत दिनांक 22.11.2018 के आदेश द्वारा समाप्त कर दिया गया, जिसका प्रति परिशिष्ट R-2 के रूप में संलग्न किया गया है। अतः, याचिकाकर्ता की सेवा समाप्ति के आदेश पर स्थगन इस न्यायालय द्वारा दिनांक 20.03.2019 को दोषसिद्धि किए जाने के पूर्व पारित किया गया था ।

5. इसके अतिरिक्त यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस न्यायालय द्वारा दिनांक 20.03.2019 को पारित आदेश में, कोई निर्देश याचिकाकर्ता को नही दिया गया है और न ही उसे सेवा मे पुनः बहाली के लिए कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की गई है। इसलिए, आदेश का प्रभाव केवल इस सीमा तक होगा कि याचिकाकर्ता को उसके द्वारा दायर अपील के अंतिम निराकरण तक दोषी नहीं माना जाएगा।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

6. म.प्र. उच्च न्यायालय के *कुणाल कांती मजी बनाम चांसलर, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर* मामले के निर्णय पर आधारित, जो कि 2008 (1) म.प्र.एल.जे. 577 में रिपोर्टेड है, मे यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त निर्णय में यह माना गया है कि किसी आदेश के क्रियान्वयन पर स्थगन का अर्थ केवल यह होता है कि वह आदेश प्रभावी नहीं रहेगा, लेकिन इससे दोषसिद्धि को समाप्त नहीं होती या अस्तित्वहीन नही हो जाती । इसी प्रकार, केरल उच्च न्यायालय के निर्णय *राज्य ऑफ केरल और अन्य बनाम अनिता फिशरीज सब इंस्पेक्टर* मामले पर भी विश्वास जताया गया है। जिसे 2015 SCC ऑनलाईन केरल 635 में प्रकाशित किया गया है और साथ ही सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय *श्री चमुण्डी मोपेड्स लिमिटेड बनाम चर्च ऑफ साउथ इंडिया ट्रस्ट एसोसिएशन, सीएसआई सिनोड सचिवालय, मद्रास* (1992) 3 SCC 1) मे प्रकाशित है , के निर्णय पर भी विश्वास किया गया है, और

जिसके आधार पर यह प्रस्तुत किया जाता है कि ऐसी अवमानना याचिका स्वीकार्य योग्य नहीं है।

7. जवाब मे, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा यह कथन किया गया है कि उत्तरदाता द्वारा याचिकाकर्ता को सेवा समाप्ति का कोई नोटिस प्रदान नहीं किया गया था।इसके अतिरिक्त, बर्खास्तगी का आदेश पूर्व दिनांक का था, जिससे यह स्पष्ट होता है कि इस न्यायालय के द्वारा पारित आदेश की जानबूझकर अवहेलना की गई है।

8. मैंने उभयपक्षों के अधिवक्ताओं की तर्क को सुना और अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेज़ों का अवलोकन किया ।

9. दिनांक 20.03.2019 को Cr.A.No.1708/2018 मे पारित आदेश के संचालनात्मक भाग को निम्नानुसार उद्धुत किया जाता है कि–

"इस प्रकार, आवेदन स्वीकार किया जाता है और यह आदेशित किया जाता है कि अपीलकर्ता नंबर 1, अनिता रेणु कुजुर के विरूद्ध दोषसिद्धि इस अपील के निराकरण तक स्थगित रहेगी।"

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

10. यह स्पष्ट होता है कि याचिकाकर्ता को सेवा मे पुनः बहाली के लिए कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता प्रदान नहीं की गई थी, और न ही इस संबंध में इस न्यायालय द्वारा कोई निर्देश जारी किया गया था।

11. इस स्थगन आदेश का प्रभाव केवल इस सीमा तक है कि याचिकाकर्ता के विरूद्ध दोषसिद्धि निष्क्रिय हो गई है।जबकि म.प्र. उच्च न्यायालय के निर्णय *कुणाल कांती मजी बनाम चांसलर* (उपरोक्त) के पैराग्राफ 17 और 18 इस मामले से संबंधित हैं, जो निम्नलिखित रूप में पुन: प्रस्तुत किए जाते हैं :–

"17. इस समय पर, हमें यह स्पष्ट करना चाहिए कि उपरोक्त निर्णयों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के बाद, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि ये निर्णय वर्तमान मामले पर लागू नहीं होते हैं।"इस संदर्भ में, हम सर्वोच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों द्वारा दिए गए निर्णय **M/s. Shree Chamundi Mopeds Ltd. v. Church of South India Trust Association** का लाभप्रद रूप से उल्लेख कर सकते हैं।मद्रास (AIR 1992 SC 1438), जिसमें माननीय ने पैराग्राफ 10 में अंतरिम आदेश के प्रभाव पर विचार करते हुए निम्नलिखित शब्दों में अपनी राय व्यक्त की:"..........जब किसी आदेश के संचालन पर रोक लगाने वाले अंतरिम आदेश के प्रभाव पर विचार करते समय, उस आदेश को निरस्त करने और आदेश के संचालन को स्थगित करने के बीच अंतर किया जाना आवश्यक है। किसी आदेश को निरस्त करने का परिणाम उस स्थिति की बहाली होती है जैसी वह उस आदेश के पारित होने की तिथि पर थी, जिसे निरस्त किया गया है। हालाँकि किसी आदेश के संचालन पर रोक लगाने का परिणाम यह नही निकलता । इसका केवल यह अर्थ होता है कि जिस आदेश के संचालन को स्थगित किया गया है, वह स्थगन आदेश के पारित होने की तिथि से प्रभावी नहीं होगा, लेकिन इसका यह अर्थ भी नहीं होगा कि वह आदेश पूर्ण रूप से अस्तित्वहीन हो गया है......"

12. इसी प्रकार,केरल उच्च न्यायालय के state of kerala Vs Anitha निर्णय के पैरा–11 का उल्लेख भी प्रासंगिक है, जो निम्नलिखित रूप में पुन: प्रस्तुत किया गया है :–"

> 11. अनुच्छेद 311(2) के दूसरे प्रावधान के खंड (a) में जो अपवाद निर्धारित किया गया है, वह यह है कि जब किसी व्यक्ति को उसके आचरण के आधार पर बर्खास्त, पदच्युत या पदावनत किया जाता है, जिसके कारण उसे किसी आपराधिक आरोप के तहत

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

दोषसिद्ध किया गया है,तो उसके विरूद्ध किसी भी प्रकार की जांच किए जाने की आवश्यकता नही होती । उच्चतम न्यायालय ने **Deputy Director of Collegiate Education (Administration) v. S. Nagoor Meera** [(1995) 3 SCC 377]

में अनुच्छेद 311(2) के दूसरे उपविधान (a) पर विचार करने का अवसर प्राप्त किया।उक्त मामले में भी कर्मचारी को भारतीय दंड संहिता की धारा 420 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 की धारा 5 के तहत आरोप में दोषी ठहराया गया था।उक्त मामले में कर्मचारी ने दोषसिद्धि और सजा के खिलाफ अपील दायर की और न्यायालय ने उसे दी गई सजा को निलंबित कर दिया तथा उसे जमानत पर रिहा कर दिया । उक्त निर्णय के परिच्छेद 9 और 10 में प्रासंगिक टिप्पणियाँ की गई हैं, जो निम्नलिखित रूप में उद्धृत की गई हैं

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. न्यायाधिकरण का यह मत प्रतीत होता है कि जब तक दोषसिद्धि के खिलाफ अपील का निपटारा नही हो जाता , तब तक अनुच्छेद 311(2) के दूसरे प्रावधान के खंड (a) के तहत कार्रवाई अनुमेय नहीं है। हमें उक्त दृष्टिकोण का कोई आधार या औचित्य नहीं दिखाई देता । इस प्रकार के सभी मामलों में अधिक उपयुक्त मार्ग यह है कि जब किसी सरकारी कर्मचारी को किसी आपराधिक आरोप में दोषी ठहराया जाता है, तो अनुच्छेद 311(2) के दूसरे प्रावधान के खंड (a) के तहत कार्रवाई की जाए,न कि अपील या पुनरीक्षण के निपटारे की प्रतीक्षा किया जाए,जैसा प्रकरण हो सकता है ।हालाँकि, यदि सरकारी कर्मचारी–अभियुक्त को अपील या अन्य कार्यवाही में दोषमुक्त कर दिया जाता है तो आदेश को सदैव पुनः संशोधित किया जा सकता है और यदि सरकारी कर्मचारी को बहाल कर दिया जाता है तो उसे सभी लाभों को प्राप्त करने का अधिकार होगा जिनका वह अधिकारी होता, यदि वह सेवा में बना रहता है । अन्य प्रस्तावित

विकल्प, कि अपील, पुनरीक्षण और अन्य कानूनी उपाय समाप्त होने तक प्रतीक्षा की जाएं, साथ ही यह उचित नहीं होगा, क्योंकि इसका अर्थ यह होगा किसी ऐसे व्यक्ति को सेवा में रखे रखना जिसे एक आपराधिक न्यायालय द्वारा किसी गंभीर अपराध में दोषी ठहराया गया है। यह ध्यान रखना चाहिए कि अनुच्छेद 311(2) के दूसरे प्रावधान के खंड (a) के तहत कार्रवाई केवल तब की जाएगी जब उसके दोषसिद्धि का कारण उसका आचरण हो तथा ऐसा हो कि वह अनुच्छेद 311(2) में उल्लिखित तीन प्रमुख सज़ाओं में से किसी एक सजा का हकदार हो। जैसा कि इस न्यायालय ने *शंकर दास बनाम भारत संघ* (SCC प. 362, पैरा 7) में निर्णय दिया था।

2. धारा 311(2) के द्वितीय उपबंध की उपधारा (a) संविधान के तहत सरकार को यह अधिकार प्रदान करती है कि वह किसी व्यक्ति को सेवा से बर्खास्त कर सके यदि उसके द्वारा किए गए आचरण के कारण उसे किसी आपराधिक आरोप में दोषी ठहराया गया हो'।लेकिन यह अधिकार, अन्य सभी अधिकारो की तरह, निष्पक्ष न्यायसंगत और तर्कसंगत रूप से प्रयोग किया जाना चाहिए। निश्चित रूप से, संविधान इस बात की कल्पना नहीं करता कि एक सरकारी कर्मचारी को केवल अपने स्कूटर को नो–पार्किंग क्षेत्र में पार्क करने के लिए दोषी ठहराया जाता है तो उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया जाए।,शायद, उसे दंड के प्रश्न पर सुनवाई का अधिकार न मिले , क्योंकि अनुच्छेद 311(2) के द्वितीय उपबंध की उपधारा (a) के तहत, जब किसी सरकारी कर्मचारी पर ऐसे आचरण के आधार पर दंड लगाया जाना हो, जिसके कारण उसे किसी आपराधिक प्रकरण मे दोषसिद्ध किया गया है , तो इस अनुच्छेद के प्रावधान लागू नहीं होते। लेकिन दंड लगाने के अधिकार

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

के साथ यह कर्तव्य भी जुडा हुआ है कि उसे न्यायसंगत तरीके से लागू किया जाए ।

10. , वास्तव प्रासंगिक बात यह है कि किसी सरकारी कर्मचारी का आचरण कैसा था जिसके कारण उसे किसी आपराधिक प्रकरण में दोषसिद्ध किया गया है । अब, इस मामले में,उत्तरवादी को एक आपराधिक न्यायालय द्वारा भ्रष्टाचार का दोषी पाया गया है। उक्त दोषसिद्धि को जब तक अपीलीय या अन्य उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया जाता,तब तक ऐसे व्यक्ति को सेवा में बनाए रखना उचित नहीं हो सकता। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है,यदि वह अपील या अन्य कानूनी कार्यवाही में सफल होता है,तो मामले की पुनःसमीक्षा की जा सकती है ताकि उसे किसी प्रकार की हानि न हो।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. उपरोक्त में उल्लिखित निर्णय में की गई टिप्पणियों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि,दोषसिद्धि की कार्यवाही पर स्थगन तब तक प्रभावी रहता है जब तक कि उस दोषसिद्धि को विधिपूर्वक रद्द नहीं किया जाता। इसके अतिरिक्त, इस न्यायालय द्वारा संबंधित मामले मे उत्तरवादी को किसी प्रकार का कोई निर्देश अनुपालन के संबंध नहीं दिया गया है, जिससे यह नहीं कहा जा सकता किउत्तरवादी ने जानबूझकर इस न्यायालय के आदेश का उल्लंघन किया है। दोषसिद्धि की कार्यवाही पर स्थगन का प्रभाव पुनः बहाली के लिए दावा करने पर पड सकता है, लेकिन यदि न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि की कार्यवाही पर स्थगन करने संबंधी कोई स्पष्ट निर्देश या आदेश नहीं दिया गया है, तो नियोक्ता विभाग पर पुनः बहाली का कोई आदेश पारित करने की बाध्यता नहीं है ।अतः, संबंधित मामले की परिस्थितियों और जो विधि लागू हो रही हो पर समग्र रूप से विचार करने के बाद, मै इस विचार पर पहुंचता हूँ कि इस याचिका मे कोई ठोस आधार नही है, जिसके आधार पर उत्तरवादी के

विरूद्ध न्यायालय की अवमानना अधिनियम ,1971 के प्रावधानो के अंतर्गत कार्यवाही की जा सके ।

14. परिणामस्वरूप, अवमानना याचिका निराधार पायी जाती है तथा तदानुसार खारिज किया जाता है।

सही/-
(राजेन्द्र चंद्र सिंह सामंत)
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur